पत्र संख्या/आर के/ एफ० सी० ए०/
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक शिमला-2

प्रेषक: वन मंडलाधिकारी(ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला।

प्रेषित: नोडल अधिकारी एवं अति० प्र०
अरण्यपाल (एफ० सी० ए०) हि0 प्र0

विषय:- **Diversion of 3.2322 ha of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi , Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Dhami Tehsil and District Shimla, HP under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उक्त सड़क की सैन्द्धातिक स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ ,उप – कार्यालय ,शिमला के पत्र सं0 FC/HPB/64/2023-I/70207/2024 दिनांक 18/04/2024 को प्रदान की गई है , जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

शर्तें	उत्तर
A. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :- **i.** प्रयोक्ता ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए ।	CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की कुल राशि ₹ 70 ,55 ,209 दिनांक 23 /07 /2024 को टोकन संख्या 21125140 के तहत ,एवं UTR संख्या RBI2112410244225 दिनांक 29 /07 /2024 को जमा की गयी , इसके अतिरिक्त विभागीय शुल्क राशि ₹ 5 ,62 ,491 दिनांक 29 /07 /2024 को ड्राफ्ट संख्या 809948 के तहत जमा की गयी। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र संलगित है।
ii. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। इस सम्बन्ध में बचनबद्धता संलगित है।
iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 3.2322 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C, No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 3.2322 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा कर दी है। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र संलगित है। **ANNEXURE -I**
iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी ने सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है। इस सम्बन्ध में बचनबद्धता संलगित है।
v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की गई।
vi. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिच्श्रित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहि किया जाएगा ।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
vii. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिच्श्रित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस**	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है

मंडल के पास **S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है "** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा ।	
viii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
B. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अडंरटेकिंग के रुप में अनुपालन स्टेज–।। अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है। **i.** वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 6.5 है0 के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment/Survey NO. -D-52/2, Kalandra Beat of Bakani Block UpperChamba Forest Range , Chamba Forest Division , Distt. Chamba , Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा ।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 6.5 है0 के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment/Survey NO. -D-52/2, Kalandra Beat of Bakani Block UpperChamba Forest Range , Chamba Forest Division , Distt. Chamba , Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा इस संबंध में वचनबद्धता सलंग्न है- **ANNEXURE -II**
iv. प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, सलंगन है- **ANNEXURE -III**
v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी ।	वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी। इस संबंध में वचनबद्धता सलंगन है- **ANNEXURE –IV**
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
vii. माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
viii. Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to	Soil and Moisture Conservation Plan amount of Rs. 1,31,025/- only have been deposited in the CAMPA account. Soil and Moisture Conservation Plan in this regarding is enclosed as **ANNEXURE - V**

actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted.	
ix. एवेन्यू वृक्षारोपण, सडक के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xi. केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले– आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xii. वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xiv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xvi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xvii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xviii. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xix. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xx. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxi. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxiii. अन्य कोइ भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन	इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है

अधिनियम, 1980 और वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

पृष्ठांकन संख्या/ आर के/ एफ० सी० ए०/ 4600 **दिनांक शिमला-2** 16-12-2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ,मंडल शिमला ग्रामीण, धामी और उनसे अनुरोध है कि कृपया उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ-साथ प्रभागीय वन अधिकारी (ग्रामीण), वन प्रभाग, शिमला से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई सैद्धांतिक (चरण-I) अनुमोदन में लगाई गई शर्तों के संबंध में उपक्रमों को अपलोड करना सुनिश्चित करें क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसी के पास परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से इसे अपलोड करने की पहुंच है।

वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) i	प्रयोक्ता एजेंसी से सी ए स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

c/s
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) ii	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा WP (c) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

c/s
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

Annexure - I

Full Title of the Project: **Diversion of 3.2322 ha of Forest land for the construction of link road from Dumehar to Navi, Tehsil – Suni, District – Shimla, HP, in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division.**

Online Proposal No. **FP/HP/Road/25347/2017**
Proposal Submission Date **25th January, 2020**

Certificate

Point No. A (iii)

Certified that the amount of Net Present Value stands recovered with respect to the proposal for the diversion of 3.2322 ha of Forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from Domehar to Navi (Kms. 0/00 to 5/241), falls within the jurisdiction of Shimla Forest Division (Rural), Tehsil and District - Shimla, Himachal Pradesh, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil & District - Shimla, HP in compliance to the order dated 28th March, 2008 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) number 202 of 1996 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India, the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) vide letter No. 5-3/2011-FC (Vol.-I) dated 6th January, 2022, the detail of which is as follows :-

Eco Value Class	Forest Type	Rate	Area in hectare	Total amount.
Class VI	Open Forest	10,69,470/-	3.2322	Rs. 34,56,741/-

05/09

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

13

828

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto	22-Aug-2024		
HIMGRN	**B24H111034**		**Remmiter Copy**
		Date	16-08-2024 12:46:00PM

Department	Forest
BarCode	
Period	16-08-2024 To 16-08-2024
DDO	SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA

Head	
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME	**₹Amount**
	562491
Total/Net Amount	562491
In words Five Lakh Sixty Two Thousand Four Hundred Ninty One	

Payee Detail

08958

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Cost of Trees & Departmental Charges of C/o Domahar to Navi Diversion of 3.2322 ha of Forest LAND

Remitter Name:- Divisional Forest Officer Rural Shimla

Address:- Forest Division Shimla Rural Khalini Shimla Mob: 6381325385

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No			
Amount	₹ 562491	**HIMGRN**	B24H111034
Bank	MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA		
Cheque-DD-No.			

22 AUG 2024

562491

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) iv	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑन लाइन माध्यम से CAMPA fund में जमा करवाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) v	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e –portal (https://parivesh.nic.in /) में अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सी ए लागत , एन पी वी , आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं । अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	वचन पत्र
(A) vii	मैं वचन देता हूँ कि इस मण्डल में प्रस्तावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य प्रस्ताव , जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तथा S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए लंबित नहीं है।

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषयः- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) i	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों कि संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों कि कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Annexure-II

Full Title of the Project: **Diversion of 3.2322 ha of Forest land for the construction of link road from Dumehar to Navi, Tehsil – Suni, District – Shimla, HP, in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division.**

Online Proposal No. **FP/HP/Road/25347/2017**
Proposal Submission Date **25th January, 2020**

Certificate

Point No. B (iii)

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील व जिला – शिमला, हिमाचल प्रदेश में डुमेहर से नावी (कि0मी0 0/00 से 5/241) तक सम्पर्क सड़क के निर्माण के हेतु अधिषाशी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला ग्रामीण मण्डल धामी के पक्ष में हस्तांरित 3.2322 हैक्टेयर वन भूमी के एवज में ***6.5 ha*** वन भूमि में किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र अर्थात ***Block/Compartment/Survey No D-52/2,. Kalandra Beat of Bakani Block, Upper Chamba Forest Range, Chamba Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh*** पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन प्रदान किया जा चुका है। यथासंभव, स्थानीय देसी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

Annexure – III

Full Title of the Project:	**Diversion of 3.2322 ha of Forest land for the construction of link road from Dumchar to Navi, Tehsil – Suni, District – Shimla, HP, in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division.**
Online Proposal No.	**FP/HP/Road/25347/2017**
Proposal Submission Date	**25th January, 2020**

Certificate

Point No. B (iv)

प्रस्तावित CA से संबंधित दस्तावेज, सलंगन है- **ANNEXURE – A** (Page No. 1-6)

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

Annexure - A, Page No-1

Government of Himachal Pradesh
OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER
CHAMBA FOREST DIVISION
Email: head-fordivcha-hp@hp.gov.in

No.FCA/ 4608
H.P. Forest Department

Dated Chamba, the 20/11/24

From:-

Deputy Conservator of Forests
Chamba Forest Division
Chamba

To.

Assistant Engineer
HPPWD Sub-Division, Jalog

Subject: - **Diversion of 3.2322 hac. Forest land for C/o link road from Domehar to Navi Tehsil Suni District Shimla in Favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division.**

Sir.

This is w.r.t. your office letter No. PW-SRDD-WA-Forest cse /2024-25- 733-35 dated 14-11-2024, on the subject cited above.

On the subject cited above the relevant papers for CA land as proposed in the above mention road is enclosed herewith for your kind information and further necessary action at your end please.

Encl:- As above.

Deputy Conservator of Forests
Chamba Forest Division
Chamba

ANNEXURE – A, Page No-2

DIVISION COPY

खण्ड विवरण संचिका

(कम्पार्टमेंन्ट हिस्ट्री फाईल)

COMPARTMENT HISTORY FILE

वन मण्डल

*

........UPPER ....CHAMBA........वन परिक्षेत्र

वन का नाम........RAKH........D.P.F........D-551

उप–खंड संख्या..

कम्पार्टमेंट / सब-कम्पार्टमेंट नं०..

Forest Printing Press Kaloghat Shilly Road Solan (H.P.) 28.4.1988–1149-3000

ANNEXURE - A, Page-3

COMPARTMENT HISTORY FILE

Name of Forest... RAKH - D.P.F D-551

Compartment or Sub-Compartment No...–.......

Block... BAKANI

Range... UPPER CHAMBA

Division... CHAMBA

H.P. F. D. Printing Press Kalaghat, Solan—1911--22-4-95--10,000

Annexure - A, Page No- 4

Block BAKANI

New Sub-Compartment or
Compartment No. -

Old Compartment No. -

Working Plan of	S.C. GAUR	R.C SHARMA	R. C. BERGAAL
Working Circle	–	PROTECTION	PROTECTION CUM REHABILITATION
Felling Series			
Periodic Block			

COMPARTMENT DESCRIPTION

Situation :— About 13 Km. from Chamba town on Chamba -Bharmour road.

Boundary :—

N.— Mohal Rakh.

E.— Land of Mohal Gurahr.

S.— Mohal Kasba Rakh.

W.— Cultivated and uncultivated land of Mohal Rakh.

Area (Acres) 82 Acres (33.19 Ha.)

Total grass.— 33.19 Ha

Grass land.— -

Included cultivaion.— -

Net area.— 33.19 Ha

Elevation :— 1220 M to 1585 M.

Aspect.— South, South-West.

Slope.— Moderate to very steep.

Rock.— Metamorphosed, sand stone (Quartzite)

Soil.— Sandy loam, shallow and rocky at places.

Drainage:- Ravi river.

ANNEXURE - A, Page No-5

Description of growing stock:
(Including Density, Quality, Regeneration, Under growth, Special treatment and Past history)

The forest was delcared D.P.F. vide H.P. Govt. notification no. Ft.8-3/74-SF(Part-II) dt. 2.12.1975 and published in H.P. Rajpatra dated 26.6.1976.

A forest having chiefly young to middle aged Shisham and a few Ficus trees in southern and lower western parts. Remainder is grassy blank used to be auctioned annually in the past, but this practice has been stopped now. Undergrowth consists of Adhatoda, Colebrookia, Didonea etc.

Revenue map is available in the Settlement file No. 900 .

W.P.O.

Prescriptions.

1. Retained in Protection Working Circle.
2. Grass cutting, and grazing be regulated.

Rights: As per Form-G of Settlement file. Photo copy of Form-G attached.

Important points.

Settlement file No.	900		
Mohal:-	Rakh.		
Hadbast No.:-	159		
Tehsil:-	Chamba		
Area:-	Khasra No.	Bigha	Biswa
	524	410	7

Total Kita:-1 Area: 410 7 = 82 Acres

Annexure-IV

Full Title of the Project: **Diversion of 3.2322 ha of Forest land for the construction of link road from Dumehar to Navi, Tehsil – Suni, District – Shimla, HP, in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division.**

Online Proposal No. **FP/HP/Road/25347/2017**
Proposal Submission Date **25th January, 2020**

Certificate

Point No. B (v)

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड किया जाएगा।

05/09

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

O/c

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिये नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा करना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	वचन पत्र
(B) viii	I , /we , Executive Engineer HPPWD Shimla Rural Division Dhami hereby , undertake that a lump sum amount of 0.5% of the project cost i.e. Rs 131025.00 only for Soil and Moisture Conservation Plan has already been deposited along with NPV in the CAMPA account.

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

Annexure-V

SMCP detail for c/o link Road from Domehar to Navi Tehsil Sunni Distt Shimla												
Activity	1st year		2nd year		3rd year		4th year		5th year		G total	
	phy	Fin(Rs)	phy	Fin(Rs)	phy	Fin(Rs)	phy	Fin(Rs)	phy	Fin(Rs)	phy	Fin(Rs)
Soil and moisture conservation		2500		2500		2500		2500		2500		12500
i)Bio engeneering works for slope stablisation												
ii) Dry stone check walls for soil retaining	6	118525									6	118525
											total	131025

Range Forest Officer
Bhajji, Forest Range Office
Sunni, Distt. Shimla (HP)

S/
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

पर्यावरण वन एवं वन | सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ix	एवेन्यू वृक्षारोपण , सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आइ आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) x	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी , विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तातरित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xi	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषयः- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे , जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत : वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी , ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvi	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।	शर्त मंजूर

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषयः- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvii	स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फुट ऊंचे सिमेन्ट के खंबों द्वरा चिन्हित की जाएगी ।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xviii	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटींग साईनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मंजूर

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xix	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यूएलडब्ल्यू/एन बीडब्ल्यूएल /एफएसी /आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपयुक्त अन्डर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी ।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xx	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	शर्त मंजूर

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxi	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा । मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी , इसके उपरांत पुन: यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो , के सह – समाप्ति होगी।	शर्त मंजूर

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण , सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiv	यदि अन्य कोई संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषयः- Diversion of 3.2322 ha. of forest land for the construction of link road from Domehar to Navi, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25347/2017)

संदर्भः- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 64 / 2023 दिनांक 18 /04/2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) XXV	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम , 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन)अधिनियम , 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम , 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA